



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर
विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 271/2021

□ तरंग तम्बोली (अल्पवयस्क) पिता श्री शत्रुघ्न तम्बोली, उम्र लगभग 12 वर्ष, पिता शत्रुघ्न तम्बोली, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता आनंद राम तम्बोली, निवासी वार्ड नं. 09, नया बाराद्वार, तहसील सक्ती जिला जांजगीर चाम्पा छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी/दावाकर्ता

बनाम

1. राजमणि रजक पिता श्री यदुनाथ रजक, 26 वर्ष, निवासी गाँव दुआरी, डाकघर, सरौधा, तहसील तथा पुलिस थाना देवसर, जिला सीधी, एम. निवासी में वर्तमान में रानीसागर खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

2. मोहम्मद नौसाद पिता यूनुस निवासी ग्राम पठानपारा खरसिया पुलिस थाना तथा तहसील खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। मालिक

3.न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा रायगढ़ पुलिस थाना तथा तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। बीमाकर्ता

--- उत्तरवादी /अनावेदक

अपीलार्थी हेतु :श्री दीपक कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 3 हेतु :श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू

पीठ पर निर्णय

08/08/2025

1. अपीलार्थी, तरंग तम्बोली उम्र लगभग 12 वर्ष के पिता, , ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा दावा प्रकरण संख्या 52/2016 में पारित दिनांक 10.10.2019 के अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने तर्क



और साक्ष्य की सराहना के बाद आवेदन दाखिल करने की दिनांक से वसूली तक 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल ₹ 16,38,508/- का क्षतिपूर्ति दिया है और अनावेदक 3-बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति की राशि को पूरा करने का दायित्व तय किया है।

2. यह अपील दावा अधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग करते हुए दायर की गई है। मोटर दुर्घटना दिनांक 08.04.2015 को लगभग 02:30 बजे नेहरू चौक, बाराद्वार के पास, एक हाइवा ट्रक संख्या □□13 □ 3072 (जिसे अब से "दुर्घटनाग्रस्त ट्रक" कहा जाएगा) द्वारा, उसके चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा, तेजी और लापरवाही से चलाए जाने के कारण हुई, जिसके कारण तरंग तंबोली को हुई स्थायी विकलांगता विवाद में नहीं है।

3. मामले के उपर्युक्त तथ्यों में, यह न्यायालय मामले के तथ्यों पर विचार नहीं कर रहा है, जिसमें दावाकर्ता द्वारा अपनी तर्क में बताई गई दुर्घटना के तरीके, उसमें अनावेदक द्वारा दाखिल किए गए उत्तर और आक्षेपित निर्णय में विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा उल्लिखित तरीके पर चर्चा की गई है, बल्कि केवल इस मामले में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की मांग की गई प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मोटर दुर्घटना में अपीलार्थी के सिर में गंभीर चोट आई थी। तत्पश्चात उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उच्चतर अस्पताल रेफर किया गया तथा दिनांक 08.04.2015 को उसे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां से दिनांक 04.06.2015 को उसे छुट्टी दे दी गई। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कि इसके बाद अपीलकर्ता ने राम कृष्ण अस्पताल, रायपुर से लगातार इलाज करवाया, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी बौद्धिक क्षमता 35% तक कम हो गई है। वह अपना कोई भी काम, यहाँ तक कि दैनिक गतिविधियाँ भी नहीं कर पा रहा है और उसे एक परिचारक की आवश्यकता थी। राम कृष्ण केयर अस्पताल के उपचारक डॉ. एस.एल. मढरिया का भी दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एडब्ल्यू-3 के रूप में परीक्षण किया गया। अपने साक्ष्य में, उन्होंने चोटों की प्रकृति तथा इसकी जटिलता को स्पष्ट रूप से बताया जिससे अपीलार्थी पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता जीवन भर कोई काम नहीं कर पाएगा और उसे एक परिचारक की आवश्यकता होगी। दावा न्यायाधिकरण ने ₹67,50,000 के क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले दावा आवेदन पर विचार करते हुए केवल ₹16,38,508 की मामूली क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की है। दावा न्यायाधिकरण ने दर्द और पीड़ा, विशेष आहार और परिचारक के मद में उचित क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं किया है। भविष्य की संभावनाओं और विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जाती है। अपने तर्क के समर्थन में, वह दिव्या बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, 2023(1) सीजीएलजे 338 (एससी) पर भरोसा करते हैं।



5. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 3-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दुर्घटना की तिथि पर घायल अपीलकर्ता की आयु केवल 12 वर्ष थी, दावा न्यायाधिकरण ने उसकी आय की गणना करते हुए, कमाई की हानि के लिए काल्पनिक रूप से क्षतिपूर्ति दिया। न्यायाधिकरण ने भविष्य के चिकित्सा व्यय सहित सभी मदों के तहत क्षतिपूर्ति दिया और इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. इस न्यायालय को केवल एक ही बिन्दु पर विचार करना है कि क्या दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति न्यायसंगत और उचित है?

8. दावा न्यायाधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय के कंडिका-33 में अपीलकर्ता की 100% कार्यात्मक अक्षमता का आकलन किया है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसलिए क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करने वाले दावेदार द्वारा दायर अपील का निर्णय करने के लिए, यह न्यायालय यह भी विचार कर रहा है कि अपीलकर्ता 100% कार्यात्मक अक्षमता से ग्रस्त है। विकलांगता की प्रकृति के बारे में साक्षी (उपचार करने वाले चिकित्सक), एडब्ल्यू-3, डॉ. एस.एल. मढारिया ने बताया कि अपीलार्थी-दावेदार के सिर पर लगी चोट ने उसके मस्तिष्क को प्रभावित किया है, जिसके कारण वह स्वयं चलने में असमर्थ हो गया है और उसे अपना पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था तथा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगा।

9. मामले के उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, यह विचारणीय है कि क्या दावा न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति न देना उचित था, क्योंकि दावेदार बड़ा हो जाएगा और वयस्कता की आयु भी पार कर जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (2022) 7 एससीसी 738 में रिपोर्ट किए गए मामले में घायल नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति पर विचार करते हुए, काजल बनाम जगदीश चंद एवं अन्य, (2020) 4 एससीसी 413 में रिपोर्ट किए गए मामले में अपने निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह टिप्पणी की कि काल्पनिक आय की गणना एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए। यह भी देखा गया है कि कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के अलावा, दावेदार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य के निर्णय, (2017) 16 एससीसी 680 के तहत भविष्य की संभावनाओं के लिए निर्धारित आय के 40% के अतिरिक्त के भी हकदार होंगे।

10. मास्टर ज्योति राज कृष्ण के मामले में, जिसका प्रतिनिधित्व उनके निकटतम मित्र और पिता राजेश कुमार बनाम सनी जॉर्ज ने किया था, 2024 एससीसी ऑनलाइन केर 6875 में रिपोर्ट किया गया, केरल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि "यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि एक नाबालिग बच्चे की काल्पनिक



आय के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का उल्लेख देकर, इस न्यायालय ने कभी भी एक खिलते हुए युवा मन के भविष्य की अनदेखी नहीं की है और न ही बच्चे के उज्ज्वल भविष्य और उन संभावनाओं के प्रति अपनी आँखें मूँद ली हैं जो इस घातक दुर्घटना के बिना उसके लिए सुरक्षित हो सकती थीं।"

11. आय की हानि के मद में मुआवजे की गणना करते समय दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की काल्पनिक आय ₹ 30,000 प्रति वर्ष मानी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किशन गोपाल एवं अन्य बनाम लाला एवं अन्य (2014) 1एससीसी 244 के मामले में ₹ 30,000 की काल्पनिक आय का आकलन किया गया था, जिसमें दुर्घटना की तिथि वर्ष 1992 थी। उस मामले में दुर्घटना की तिथि और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित काल्पनिक आय को ध्यान में रखते हुए, दुर्घटना की तिथि को प्रचलित मजदूरी के अनुसार गणना की जा सकती है।

12. पूर्वोक्त के लिए, यह न्यायालय हानि का परिमाणन करने के लिए काल्पनिक आय निर्धारित करने के स्वीकृत सिद्धांत को अपनाना उचित समझता है। राज्य सरकार द्वारा अकुशल/कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, मृत बच्चे की न्यूनतम अर्जन क्षमता का पता लगाने के लिए एक उचित और वस्तुनिष्ठ मानदंड प्रदान करती है, यदि वह जीवित रहता और कार्यबल में शामिल होता है।

13. दुर्घटना की तिथि 08.04.2015 मानते हुए, 01.04.2015 से 30.09.2015 तक की अवधि के लिए अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी ₹5,969 प्रति माह है। अतः, मैं अपीलकर्ता की मासिक आय को काल्पनिक आधार पर, पूर्णांकित करते हुए ₹6,000/- प्रति माह निर्धारित करना उचित समझता हूँ। तदनुसार आदेश दिया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिदराम बनाम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में (2023) 3 एससीसी 439 में दिए गए निर्णय के अनुसार, क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के उद्देश्य से, प्रणय सेठी (सुप्रा) के मामले में उल्लिखित अनुसार, दावेदार की आय में निर्धारित आय का 40% जोड़ा जाएगा। दुर्घटना दिनांक को दावेदार की आयु 12 वर्ष होने को देखते हुए, मुझे 18 का गुणक लागू करना उचित लगता है। अपीलकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में साक्षी, अर्थात् उपचार करने वाले डॉक्टर ने बताया है कि उसे जीवन भर एक परिचारक की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं परिचारक पर होने वाले व्यय को ₹4,000 प्रति माह, अर्थात् ₹48,000 प्रति वर्ष, और 18 का गुणक लागू करते हुए, विचार करते हुए क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करना उचित समझता हूँ। दावेदार, दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित उपचार के दौरान किए गए चिकित्सा व्यय के रूप में ₹ 6,55,672 के लिए भी हकदार होगा। भविष्य के चिकित्सा व्यय के लिए निर्धारित ₹ 3,27,836 की क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर ₹ 5,00,000 कर दिया गया है। मानसिक पीड़ा और कष्ट के लिए दी गई ₹1,00,000 की क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दिया गया है। विशेष आहार के लिए दी गई ₹10,000 की क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर ₹33,000 कर दिया गया है। वाहन व्यय के लिए दी गई ₹85,000 की क्षतिपूर्ति राशि न्यायसंगत और उचित



प्रतीत होती है उपरोक्त के अलावा, दावेदार जीवन में सुख-सुविधाओं के नुकसान और विवाह की संभावनाओं के लिए ₹3,00,000 का भी हकदार होगा।

14. पूर्वगामी चर्चा के लिए, अपीलार्थी-दावेदार हेतु दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि की पुनः गणना की आवश्यकता होती है, जो कि नीचे दी गई है।

विवरण	क्षतिपूर्ति
□. आय/निर्भरता की वार्षिक हानि = ₹ 72,000/- (₹ 6000□12) □. भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए 40% की दर से योग (₹ 72,000 + ₹ 72,000 का 40% = ₹ 1,00,800) □. 18 का गुणक ₹ 1,00,800 □ 18 = ₹ 18,14,400/-	₹ 18,14,400/-
निविदा शुल्क (₹48000□18)	₹ 8,64,000/-
चिकित्सा व्यय (बनाए रखा गया)	₹ 6,55,672/-
भविष्य का चिकित्सा उपचार (बढ़ाया गया)	₹ 5,00,000/-
मानसिक पीड़ा तथा पीड़ा (बढ़ी हुई)	₹ 2,00,000
विशेष आहार (संवर्धित)	₹ 33,000
परिवहन व्यय (अनुरक्षित)	₹ 85,000
जीवन तथा विवाह की संभावनाओं में सुविधाओं का नुकसान	₹ 3,00,000
कुल	₹ 44,52,072/-

15. अब अपीलकर्ता/दावेदार विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ₹ 16,38,508/- के स्थान पर ₹ 44,52,072/- की कुल क्षतिपूर्ति राशि का हकदार होगा।क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई राशि पर दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। आक्षेपित पंचाट के अनुसरण में अपीलकर्ता-दावेदार को भुगतान की गई कोई भी राशि ऊपर गणना की गई क्षतिपूर्ति की राशि से समायोजित की जाएगी।

□ दावा न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए आक्षेपित अधिनिर्णय की शेष शर्तें बरकरार रहेंगी।



16. परिणामस्वरूप, आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी जाती है तथा आक्षेपित अधिनिर्णय को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सही / -
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

